

86
29/22

फ्या. पेश / आधी. उग्रयफ्त उपो / बहस
हेतु सु क्षेत्र क्षवसर चाव गफा/बहस
हेतु क्षवसर दिया जाउर फ्या. वक्षि
वहस दि. 04/03/22 से पेश हो।

02
04/22

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी/रिपपोउ-2/7-1 उपस्थित।
अभिभावक संघ ने कार्य स्थगित/ संश्लेषण किया।
श्रीमान् पीठासीन अधिकारी, भ्रमण पर है/अपकार
पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का पद रिक्त है।
पत्रावली पूर्वानुसार दि. 06/03/22 को पेश हो।


रीउर

87
06/2022

फ्या. पेश / आधी. उग्रयफ्त उपो /
पत्रा. का आचोपांत क्षवलोअ व भनन
दिया गया। यह अपील तहसीलदार,
बामनवास के आदेश दि. 10.04.2018
बाबत तरमीम कार्य करने बाबत के
विरुद्ध दि. 05/10/2020 को न्यायालय.
राजा में अपील दायर की गई थी।
अपील में अपीलार्थी ने सुधन दिया
है कि उप जिला कलेक्टर व तहसीलदार
बामनवास के आदेशों में ख. नं. 2903
में अपीलार्थी के ख. नं. 2903/4351
की भाँडे की स्थिति को विपरीत तरमीम
कर दी गई है, अतः सेट्टिडिशन
कार्यवाही ख. नं. 2903 व 2903/4351
शाम जिला तहसील बामनवास विरुद्ध
प्रभाई जावे।

प्रकरण सेट्टिडिशन के दौरान
गलत तरमीम के संबंध में है तथा मामला
राज. श्रं. राजस आधी. 1956. सी द्वारा 136
के तहत गलतियों में सुधार का है।
प्रकरण को सदुभाक्का/पूर्व न्यायालय द्वारा
में दायर कर दिया गया था। अतः सदुभाक्का
पूर्व गलत गच में दायर कर दिष्ट जाने
के परिणाम आधी. 1962. सी द्वारा 14 है।


रीउर

हकम या कारवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

अंतर्गत अन्वयि विरुद्ध जारी माना जायगा।
 अतः पत्रा. न्यायालय उप जिला कोर्ट,
 बलानबास 3 क्षेत्राधिकार की है।
 अतः पत्रावली से खारिज
 किया जाकर अपीलार्थी से आदेशित
 किया जाता है कि वांछित अनुलोप
 प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय
 में अपील दायर करें। पत्रा. फेसलभुमार
 होकर नम्बर से कम हो एवं वाद
 तम्भील जमा जिला अन्वयिखाना रहे।

7

अतिरिक्त जिला कोलेक्टर एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 गंगापूर सिटी (ए. न्या. 0)

